



ए.एफ.आर

2026:AHC:-LKO:17781

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 928 वर्ष 2026

सुनील कुमार शुक्ला

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मुख्य सचिव गृह, लखनऊ

...प्रतिवादी

आवेदक (आवेदकों) के अधिवक्ता: हरिओम द्विवेदी

विपक्षी (विपक्षियों) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक शपथ पत्र और राज्य द्वारा आज न्यायालय में दायर संक्षिप्त प्रति-शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. श्री हरिओम द्विवेदी के होल्डिंग ब्रीफ अधिवक्ता श्री प्रशांत तिवारी, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा डॉ. वी.के. सिंह, विद्वान शासकीय अधिवक्ता, जो विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बदरुल हसन, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस.पी. तिवारी एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अमिताभ चतुर्वेदी के साथ उपस्थित हुए, को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से थाना- रामकोट, जिला- सीतापुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 323, 34, 504 के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 607 वर्ष 2022 में जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. वर्तमान आवेदन आवेदक द्वारा एकमात्र इस आधार पर दायर किया गया है कि आवेदक को गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में सूचित नहीं किए गए थे, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) और वैधानिक प्रावधान अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 के अंतर्गत आवश्यक है।

5. इस न्यायालय ने मामले के उन तथ्यों पर विचार किया, जो पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा इस न्यायालय के संज्ञान में लाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात् प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0607 वर्ष 2022 सूचनाकर्ता/श्रीमती मुनीश कुमारी शुक्ला (मृतक मनीष कुमार शुक्ला की पत्नी और मृतक मुनेन्द्र शुक्ला की सगी भाभी) द्वारा दिनांक 25.11.2022 को लगभग 16.25 बजे, दिनांक 25.11.2022 को लगभग 12.00 बजे घटित कथित घटना के संबंध में सुनील कुमार शुक्ला पुत्र रामसनेही (सूचनाकर्ता के सगे जेठ) और मनमोहन उर्फ मोहन शुक्ला, दीपू शुक्ला एवं गोपाल शुक्ला, सभी पुत्रगण सुनील कुमार शुक्ला के विरुद्ध आरोप लगाते हुए दर्ज कराई गई थी, ताकि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दर्शाए गए अपराध आकर्षित हों।

(ii) यह ध्यान देने योग्य है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्थापित मामले के अनुसार, आरोपीगण अर्थात् सुनील कुमार शुक्ला पुत्र रामसनेही (सूचनाकर्ता के सगे जेठ) और मनमोहन उर्फ मोहन शुक्ला, दीपू शुक्ला एवं गोपाल शुक्ला, सभी पुत्रगण सुनील कुमार शुक्ला ने मनीष कुमार शुक्ला (सूचनाकर्ता के पति) और मुनेन्द्र शुक्ला (सूचनाकर्ता के देवर) को 'फरसा' और 'कुल्हाड़ी' से घातक चोटें पहुंचाई थीं।

(iii) प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, उपरोक्त घटना को जय प्रकाश शुक्ला (सूचनाकर्ता के पुत्र) द्वारा देखा गया था, जिनकी आयु कथित घटना के समय लगभग 12 वर्ष थी। इस प्रकार, वह घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं।

(iv) जय प्रकाश शुक्ला का बयान दिनांक 25.11.2022 को विवेचक (संक्षेप में 'आई.ओ.') द्वारा दर्ज किया गया था।

(v) दिनांक 23.02.2026 के पूरक शपथ पत्र के अनुलग्नक संख्या एस.ए.-1 के रूप में रिकॉर्ड पर मौजूद जय प्रकाश शुक्ला के बयान की प्रति के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि मनीष कुमार शुक्ला (जय प्रकाश शुक्ला के पिता) और मुनेन्द्र शुक्ला (जय प्रकाश शुक्ला के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चाचा) को 'फरसा' से घातक चोटें सुनील कुमार शुक्ला (वर्तमान आवेदक) द्वारा पहुँचाई गई थीं और आई चोटों के कारण उन दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।

(vi) वर्तमान जमानत आवेदन के अनुलग्नक संख्या 3 के रूप में रिकॉर्ड पर मौजूद स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् सोनू पुत्र राम नरेश, रामपाल पुत्र जगमोहन, अशोक पुत्र रघुनाथ, सुधीर पुत्र बाबूराम, उमेश पुत्र अर्जुन, मनोज पुत्र रामऔतार और अमरीश पुत्र लोकनाथ के बयानों की प्रतियों के अवलोकन से यह संकेत मिलेगा कि इन साक्षियों ने आवेदक को मृतक मनीष कुमार शुक्ला और मुनेन्द्र शुक्ला को 'फरसा' से घातक चोटें पहुँचाने की विशिष्ट भूमिका सौंपी है।

(vii) सह-अभियुक्त मनमोहन उर्फ मोहन को इस न्यायालय द्वारा अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 6833 वर्ष 2024 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2025 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। एक अन्य सह-अभियुक्त दीपू शुक्ला को भी इस न्यायालय द्वारा अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 4805 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 13.11.2025 के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

6. उपरोक्त मुख्य आधार पर प्रस्तुत इस जमानत आवेदन का विरोध करते हुए, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने यह प्रतिपादित किया कि गिरफ्तारी के आधार आवेदक को गिरफ्तारी की तिथि अर्थात् 26.11.2022 को ही सूचित कर दिए गए थे और इसलिए इस आधार पर कि आवेदक को गिरफ्तारी के आधार सूचित नहीं किए गए थे, वर्तमान जमानत आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

7. मामले के उक्त पहलू पर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा दिनांक 26.11.2022 को 16.15 बजे तैयार किए गए गिरफ्तारी मेमो की प्रति (जो आज न्यायालय में दायर संक्षिप्त प्रति-शपथ पत्र के अनुलग्नक संख्या एस.सी.ए.-2 के रूप में संलग्न है) का संदर्भ दिया गया है। संदर्भित गिरफ्तारी मेमो का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत है:

".....यह विश्वास होने पर कि पकड़े गए उपरोक्त तीनों व्यक्ति ही उपरोक्त मुकदमे में नामजद अभियुक्तगण हैं, को उनके विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 607/22 धारा 302 भारतीय दंड संहिता से अवगत कराते हुए नियमानुसार समय करीब 15.30 बजे बिझौरा पुल के पास से पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी मेमो मौके पर तैयार कर सर्व संबंधित के हस्ताक्षर/अलामत बनवाए गए। आने-जाने वाले जनता के व्यक्तियों से गवाही हेतु कहा गया तो

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोर्ट-कचहरी के चक्कर व भलाई-बुराई के कारण सभी बिना नाम-पता बताए हट-बढ़ गए। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया/कराया गया। अभियुक्तगण की जामा तलाशी से बरामद रुपयों को अभियुक्तवार अलग-अलग कागज में रखकर चिटबंदी किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त सुनील कुमार शुक्ला की पत्नी सुनीता देवी को देने हेतु हेड कांस्टेबल दीपचंद को हिदायत मुनासिब कर ग्राम बीहटगौड़ रवाना किया गया। अभियुक्तगण का नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराने एवं न्यायालय समय से भेजने हेतु कार्यालय में मौजूद आरक्षी को हिदायत किया गया। विवरण विवेचना जरिए केस डायरी प्रेषित है, चार्ज थाना बजुम्मे स्वयं ग्रहण किया।"

8. विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा 'गिरफ्तारी सूचना प्रपत्र' की प्रति का भी संदर्भ दिया गया है। उसका स्कैन किया हुआ प्रपत्र नीचे दिया गया है:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. इस न्यायालय ने पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा संदर्भित निम्नलिखित निर्णयों पर भी विचार किया।

(i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम किशोर अरोड़ा बनाम प्रवर्तन निदेशालय; (2024) 7 एस.सी.सी. 599 के मामले में पारित निर्णय, जिसके संदर्भित प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नलिखित हैं:-

"23. जैसा कि पंकज बंसल मामले [पंकज बंसल बनाम भारत संघ, (2024) 7 एस.सी.सी. 576] के निर्णय से भी स्पष्ट होता है, धन शोधन निवारण अधिनियम (पी.एम.एल.ए.) की धारा 19 के अंतर्गत व्यक्तियों को गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही असंगत प्रथा को देखते हुए, सामान्य प्रक्रिया के रूप में "अब से" गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देने का निर्देश दिया गया था, जिसका अर्थ निर्णय सुनाए जाने की तिथि से है। "अब से" शब्द का प्रयोग ही यह दर्शाता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार देने की उक्त आवश्यकता उक्त निर्णय की तिथि तक अनिवार्य या बाध्यकारी नहीं थी। अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिंघवी का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उक्त निर्णय को भूतकाल से (पूर्वव्यापी प्रभाव से) लागू किया जाना आवश्यक था, जबकि निर्णय में स्वयं यह कहा गया है कि "अब से" यह आवश्यक होगा कि सामान्य प्रक्रिया के रूप में और बिना किसी अपवाद के ऐसी लिखित गिरफ्तारी के आधारों की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को दी जाए। इसलिए, पंकज बंसल मामले [पंकज बंसल बनाम भारत संघ, (2024) 7 एस.सी.सी. 576] में निर्णय सुनाए जाने की तिथि तक लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार न दिए जाने को न तो अवैध माना जा सकता है और न ही संबंधित अधिकारी की इसे लिखित रूप में न देने की कार्रवाई में कोई दोष निकाला जा सकता है। इस प्रकार, गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित करने की कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) का पर्याप्त अनुपालन है, जैसा कि विजय मदनलाल [विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ, (2023) 12 एस.सी.सी. 1 : 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 929] के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



24. जहाँ तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता को गिरफ्तारी के समय वह दस्तावेज सौंपा गया था जिसमें गिरफ्तारी के आधार शामिल थे, और उसने उक्त गिरफ्तारी के आधारों के नीचे अपने हस्ताक्षर भी किए थे, और यह पृष्ठांकन (एंडोर्समेंट) किया था कि "मुझे सूचित कर दिया गया है और मैंने उपरोक्त गिरफ्तारी के आधारों को पढ़ भी लिया है।" अपीलकर्ता ने अपने द्वारा दायर प्रत्युत्तर में न तो उक्त पृष्ठांकन पर और न ही उक्त पृष्ठांकन के नीचे अपने हस्ताक्षर पर कोई विवाद उठाया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिंघवी द्वारा उठाई गई एकमात्र दलील यह है कि गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी के आधारों वाले दस्तावेज की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी। चूंकि अपीलकर्ता को निर्विवाद रूप से गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित किया गया था और उसने उक्त दस्तावेज पर सूचित किए जाने के संबंध में हस्ताक्षर और पृष्ठांकन भी किया था, इसलिए हम यह मानते हैं कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 में निहित प्रावधानों का उचित अनुपालन किया गया था और उसकी गिरफ्तारी को न तो उक्त प्रावधान का और न ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन कहा जा सकता है।"

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य; (2025) 5 एस.सी.सी. 799 के मामले में पारित निर्णय, जिसके संदर्भित प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नलिखित हैं:-

"निष्कर्ष 26.

इसलिए, हम निष्कर्ष निकालते हैं:

26.1. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देना अनुच्छेद 22(1) की एक अनिवार्य आवश्यकता है;

26.2. गिरफ्तारी के आधारों की सूचना गिरफ्तार व्यक्ति को इस प्रकार प्रदान की जानी चाहिए जिससे उन बुनियादी तथ्यों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सके जो आधार बनाते हैं, और गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी समझी जाने वाली भाषा में प्रभावी ढंग से सूचित किया जाना चाहिए। सूचना देने का माध्यम और तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे संवैधानिक सुरक्षा उपाय का उद्देश्य प्राप्त हो सके;

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



26.3. जब गिरफ्तार अभियुक्त अनुच्छेद 22(1) की आवश्यकताओं के अनुपालन न होने का आरोप लगाता है, तो अनुच्छेद 22(1) की आवश्यकताओं के अनुपालन को सिद्ध करने का दायित्व सदैव अन्वेषण अधिकारी/एजेंसी पर होगा;

26.4. अनुच्छेद 22(1) का अनुपालन न करना उक्त अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसके अतिरिक्त, यह संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए, अनुच्छेद 22(1) की आवश्यकताओं का अनुपालन न करना अभियुक्त की गिरफ्तारी को दूषित करता है। अतः, आपराधिक न्यायालय द्वारा पारित रिमांड के आगे के आदेश भी दूषित हो जाते हैं। यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि इससे विवेचना, आरोप पत्र और विचारण (मुकदमा) दूषित नहीं होगा। लेकिन, इसके साथ ही, आरोप पत्र दाखिल करने से अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन वैध नहीं हो जाएगा;

26.5. जब किसी गिरफ्तार व्यक्ति को रिमांड के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अनुच्छेद 22(1) और अन्य अनिवार्य सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया गया है या नहीं; और

26.6. जब अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन स्थापित हो जाता है, तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह तत्काल अभियुक्त को रिहा करने का आदेश दे। यदि जमानत देने पर वैधानिक प्रतिबंध मौजूद हों, तब भी यह जमानत देने का एक आधार होगा। जब संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन स्थापित हो जाता है, तो वैधानिक प्रतिबंध जमानत देने की न्यायालय की शक्ति को प्रभावित नहीं करते हैं।

42. दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 50-क को सम्मिलित करने का उद्देश्य, जिसके तहत गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति के लिए गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा नामित मित्रों, रिश्तेदारों या व्यक्तियों को गिरफ्तारी के बारे में सूचित करना अनिवार्य बनाया गया है, यह सुनिश्चित करना है कि वे कानून के अंतर्गत अनुमत गिरफ्तार व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम हो सकें। गिरफ्तार व्यक्ति, अपनी हिरासत के कारण, अपनी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया तक तत्काल और आसान पहुँच नहीं रख सकता है, जो अन्यथा वकीलों को नियुक्त करके, उन्हें हिरासत में लिए गए व्यक्ति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की जल्द से जल्द जमानत पर रिहाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देकर मित्रों, रिश्तेदारों और ऐसे नामित व्यक्तियों को उपलब्ध होती है। इसलिए, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को और इसके अतिरिक्त उसके रिश्तेदारों को, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, गिरफ्तारी के आधारों को सूचित करने का उद्देश्य केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराना है और साथ ही उसके रिश्तेदारों, मित्रों या नामित व्यक्तियों के माध्यम से उसे जल्द से जल्द अपनी रिहाई सुनिश्चित करने का आवश्यक अवसर प्रदान करना है ताकि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गारंटीकृत स्वतंत्रता और जीवन के मौलिक अधिकार को वास्तविक रूप दिया जा सके। इसलिए, गिरफ्तारी के आधारों को लिखित रूप में सूचित करने की आवश्यकता न केवल गिरफ्तार व्यक्ति को है, बल्कि उन मित्रों, रिश्तेदारों या ऐसे अन्य व्यक्ति को भी है जिनका विवरण गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा दिया या नामित किया गया हो, ताकि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के जनादेश को अर्थपूर्ण और प्रभावी बनाया जा सके, ऐसा न होने पर ऐसी गिरफ्तारी अवैध हो सकती है।"

(iii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कर्नाटक राज्य बनाम श्री दर्शन आदि; 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1702 के मामले में पारित निर्णय, जिसके संदर्भित प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नलिखित हैं:-

"20. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा, मुख्य रूप से तथ्यात्मक और कानूनी निष्कर्षों के एक सेट पर भरोसा करते हुए, प्रत्युत्तरदाताओं को जमानत पर रिहा कर दिया। हालांकि, इन निष्कर्षों की बारीकी से जांच करने पर गंभीर त्रुटियां प्रकट होती हैं जो हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराती हैं। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

20.1. गिरफ्तारी के आधार देने में विलंब, अपने आप में, जमानत देने का कोई वैध आधार नहीं हो सकता।

20.1.1. प्रत्युत्तरदाताओं-अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि गिरफ्तारी के आधार तुरंत लिखित रूप में नहीं दिए गए थे, जिससे संविधान के अनुच्छेद 22(1) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 47) का उल्लंघन हुआ है। हालांकि, यह दलील योग्यता से परे है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20.1.2. संविधान का अनुच्छेद 22(1) यह आदेश देता है कि “किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशीघ्र अवगत कराए बिना हिरासत में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, और न ही उसे अपनी पसंद के विधिक व्यवसायी (अधिवक्ता) से परामर्श करने और अपने बचाव का अधिकार देने से वंचित किया जाएगा।” इसी प्रकार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50(1) के अनुसार “प्रत्येक पुलिस अधिकारी या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला अन्य व्यक्ति, उसे उस अपराध का पूरा विवरण जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है, या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत सूचित करेगा।”

20.1.3. इस प्रकार संवैधानिक और वैधानिक ढांचा यह आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की सूचना दी जानी चाहिए - परंतु दोनों में से कोई भी प्रावधान किसी विशिष्ट प्रपत्र (फॉर्म) को निर्धारित नहीं करता है और न ही हर मामले में लिखित सूचना देने पर जोर देता है। न्यायिक मिसालों ने यह स्पष्ट किया है कि इन आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन ही पर्याप्त है, जब तक कि कोई स्पष्ट नुकसान न दिखाया गया हो।

20.1.4. विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य के मामले में यह दोहराया गया था कि यदि अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधारों के मूल सार से अवगत करा दिया जाता है, तो अनुच्छेद 22(1) संतुष्ट हो जाता है, भले ही इसे लिखित रूप में न दिया गया हो। इसी प्रकार, कासीरेड्डी उपेंदर रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में यह टिप्पणी की गई थी कि जब गिरफ्तारी वारंट के अनुसरण में की जाती है, तो वारंट को पढ़कर सुनाना पर्याप्त अनुपालन माना जाता है। पंकज बंसल के बाद के ये दोनों निर्णय स्पष्ट करते हैं कि लिखित, व्यक्तिगत आधार सभी परिस्थितियों में एक अपरिवर्तनीय आवश्यकता नहीं हैं।

20.1.5. यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 अनिवार्य है, फिर भी कथित प्रक्रियात्मक चूकों की जांच करते समय निरंतर न्यायिक दृष्टिकोण 'नुकसान-उन्मुख परीक्षण' (प्रिज्युडिस-ओरिएंटेड टेस्ट) अपनाने का रहा है। लिखित आधारों की मात्र अनुपस्थिति अपने आप में गिरफ्तारी को तब तक अवैध नहीं बनाती, जब तक कि इसके परिणामस्वरूप कोई स्पष्ट नुकसान न हुआ हो या बचाव का उचित अवसर न छीना गया हो।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20.1.6. हालांकि, उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध की गंभीरता और प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व की अनदेखी करते हुए, कथित प्रक्रियात्मक चूक को एक निर्णायक कारक के रूप में मानने पर अत्यधिक भरोसा किया। इसने अन्य बातों के साथ-साथ यह नोट किया कि रिमांड आदेशों में गिरफ्तारी के आधारों के मेमो की तामीली का कोई उल्लेख नहीं था (पैराग्राफ 45); गिरफ्तारी मेमो कथित तौर पर प्रारूप (टेम्पलेट) आधारित थे न कि व्यक्तिगत (पैराग्राफ 50); और प्रत्यक्षदर्शियों ने यह नहीं कहा था कि वे गिरफ्तारी के समय उपस्थित थे या मेमो पर हस्ताक्षर किए थे (पैराग्राफ 48)। पंकज बंसल बनाम भारत संघ और प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) (ऊपर उल्लिखित) पर भरोसा करते हुए, इसने निष्कर्ष निकाला (पैराग्राफ 43, 49 - 50) कि 03.10.2023 से, गिरफ्तारी के तुरंत बाद विस्तृत, लिखित और व्यक्तिगत आधार तामील न करना एक ऐसा उल्लंघन था जो अभियुक्त को जमानत का हकदार बनाता था।

20.1.7. वर्तमान मामले में, गिरफ्तारी मेमो और रिमांड रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि प्रत्युत्तरदाता अपनी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत थे। शुरुआत से ही उनका कानूनी प्रतिनिधित्व किया गया था और उन्होंने गिरफ्तारी के तुरंत बाद जमानत के लिए आवेदन किया था, जो आरोपों की तत्काल और सूचित समझ को प्रमाणित करता है। रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं रखी गई है जिससे यह स्थापित हो सके कि कथित प्रक्रियात्मक चूक के कारण कोई नुकसान (प्रतिकूल प्रभाव) हुआ था। स्पष्ट नुकसान की अनुपस्थिति में, ऐसी अनियमितता अधिक से अधिक एक सुधार योग्य त्रुटि है और अपने आप में जमानत पर रिहाई का औचित्य नहीं हो सकती। जैसा कि ऊपर दोहराया गया है, उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोप की गंभीरता और प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व की अनदेखी करते हुए इसे एक निर्णायक कारक माना। पंकज बंसल और प्रबीर पुरकायस्थ पर उसका भरोसा अनुचित है, क्योंकि वे निर्णय भौतिक रूप से भिन्न तथ्यों और वैधानिक संदर्भों पर आधारित थे। यहाँ अपनाया गया दृष्टिकोण इस स्थापित सिद्धांत के असंगत है कि गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत करने में प्रक्रियात्मक चूक, नुकसान की अनुपस्थिति में, अपने आप में हिरासत को अवैध नहीं बनाती है या अभियुक्त को जमानत का हकदार नहीं बनाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20.2. न्यायालयों से जमानत के चरण में मामले के गुण-दोष पर निष्कर्ष देने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

20.2.1. यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जमानत के चरण में न्यायालयों को साक्ष्यों की विस्तृत जांच करने या मामले के गुण-दोष को छूने वाले निष्कर्ष देने से रोका जाता है। केवल सामग्री का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन ही उचित है। न्यायालय लघु-विचारण का संचालन नहीं कर सकता या ऐसे निष्कर्ष दर्ज नहीं कर सकता जो विचारण के परिणाम को प्रभावित कर सकें।

20.2.2. निरंजन सिंह बनाम प्रभाकर राजाराम खरोटे के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था: “जमानत आवेदनों पर आदेश पारित करते समय साक्ष्यों की विस्तृत जांच और गुण-दोष के विस्तृत दस्तावेजीकरण से बचा जाना चाहिए। प्रथम दृष्टया मामले के बारे में संतुष्ट होना आवश्यक है, लेकिन यह आदेश में ही गुण-दोष की विस्तृत खोजबीन करने के समान नहीं है।”

20.2.3. कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के मामले में, न्यायालय ने दोहराया कि हालांकि विस्तृत मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी जमानत देने के समर्थन में कुछ तर्क होने चाहिए, विशेष रूप से तब जब अपराध गंभीर हो। हालांकि, ऐसे मामलों में भी, तर्क केवल प्रथम दृष्टया संतुष्टि तक ही सीमित होने चाहिए, न कि गुण-दोष आधारित निष्कर्षों पर।

20.2.4. आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने मामले के गुण-दोष में प्रवेश करके और ऐसे निष्कर्ष दर्ज करके अभियुक्तों को जमानत दे दी जो विशेष रूप से विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उदाहरण के लिए, पैराग्राफ 24 में, उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्रयुक्त हथियारों की प्रकृति से मृतक पर हमला करने और उसकी हत्या करने की पूर्व-योजना का संकेत नहीं मिलता है, और निष्कर्ष निकाला कि हत्या करने के इरादे का निर्धारण विचारण के दौरान किया जाना होगा। उसी पैराग्राफ में, इसने आगे यह भी माना कि चूंकि मृतक स्वेच्छा से कुछ अभियुक्तों के साथ बेंगलुरु गया था और रास्ते में एक मदिरालय (बार) में भी रुका था, इसलिए क्या उसका अपहरण किया गया था, इस प्रश्न पर भी पूर्ण विचारण के दौरान विचार करने की आवश्यकता है। पैराग्राफ 29 में, उच्च न्यायालय ने नोट किया कि साजिश को प्रकट करने वाली कोई प्रथम दृष्टया सामग्री नहीं थी क्योंकि किसी भी गवाह के बयान अभियोजन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पक्ष के पूर्व-नियोजित हत्या के सिद्धांत का समर्थन नहीं करते थे। पैराग्राफ 32 में, उच्च न्यायालय ने हथियारों की बरामदगी के साक्ष्य मूल्य को केवल इसलिए कम आँका क्योंकि वे एक खुले स्थान से जब्त किए गए थे। चिकित्सा साक्ष्य के संबंध में, पैराग्राफ 31 में न्यायालय ने पाया कि बाद में जारी की गई डॉक्टर की एक और राय (जिसमें कहा गया था कि 39 में से 13 चोटों से रक्त बह रहा था) शव परीक्षा (पोस्टमॉर्टम) रिपोर्ट के विपरीत थी, और माना कि इस विसंगति का मूल्यांकन विचारण में किया जाना चाहिए। ये अपराध या बेगुनाही के समय-पूर्व न्यायिक मूल्यांकन के संकेतक हैं, जो जमानत के चरण में अस्वीकार्य हैं।

20.2.5. इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय का ऐसा दृष्टिकोण इस न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के विपरीत है, जिसमें सतीश जग्गी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, कंवर सिंह मीणा बनाम राजस्थान राज्य शामिल हैं, जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालयों को, जमानत पर विचार करते समय, गवाहों की विश्वसनीयता का आकलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कार्य पूरी तरह से विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश इस चरण में गवाहों के बयानों में देरी पर टिप्पणी करके और विश्वसनीयता की कमी का आरोप लगाकर इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

20.2.6. बृजमनी देवी बनाम पप्पू कुमार के मामले में, न्यायालय ने सचेत किया था कि जमानत देने के आवेदन पर आदेश पारित करते समय विस्तृत विवरण इस तरह दर्ज नहीं किए जा सकते जिससे यह प्रभाव पड़े कि मामला ऐसा है जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होगी या इसके विपरीत दोषमुक्ति होगी। निम्नलिखित पैराग्राफ प्रासंगिक हैं:

“25. यद्यपि हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता एक अमूल्य अधिकार है, वहीं जमानत के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय किसी अभियुक्त के विरुद्ध लगे आरोपों की गंभीर प्रकृति और मामले पर प्रभाव डालने वाले तथ्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते, विशेष रूप से तब जब आरोप प्रकृति में झूठे, तुच्छ या परेशान करने वाले न हों बल्कि रिकॉर्ड पर लाई गई पर्याप्त सामग्री द्वारा समर्थित हों ताकि न्यायालय एक प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर पहुँच सके। जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय एक प्रथम दृष्टया निष्कर्ष तर्कों द्वारा समर्थित होना चाहिए और रिकॉर्ड पर लाए गए मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद ही उस पर पहुँचा जाना चाहिए। अपराध की प्रकृति को दर्शाने वाले

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथ्यों, अभियुक्त के आपराधिक इतिहास (यदि कोई हो), और दोषसिद्धि के पश्चात मिलने वाले दंड की प्रकृति को अभियुक्त के विरुद्ध कथित अपराध/अपराधों के सापेक्ष उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। 26. हमने ऊपर आक्षेपित आदेशों के प्रासंगिक अंशों को उद्धृत किया है। प्रथमतः, हम यह देखते हैं कि उद्धृत अंश ही उच्च न्यायालय के "तर्क" का एकमात्र हिस्सा है जिसके तहत जमानत दी गई है। जैसा कि उपर्युक्त निर्णयों से नोट किया गया है, किसी न्यायालय के लिए जमानत देते समय विस्तृत कारण देना आवश्यक नहीं है, विशेष रूप से तब जब मामला प्रारंभिक चरण में हो और अभियुक्त द्वारा किए गए अपराधों के आरोप स्पष्ट रूप से स्थापित न हुए हों। जमानत देने के आवेदन पर आदेश पारित करते समय विस्तृत विवरण इस तरह दर्ज नहीं किए जा सकते जिससे यह प्रभाव पड़े कि मामला ऐसा है जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होगी या, इसके विपरीत, दोषमुक्ति होगी। इसके साथ ही, अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति; आरोपों के संदेह से परे सिद्ध होने और दोषसिद्धि के परिणाम स्वरूप मिलने वाले दंड की गंभीरता; अभियुक्त द्वारा गवाहों को प्रभावित किए जाने की उचित आशंका; साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़; अभियोजन पक्ष के मामले का खोखलापन; अभियुक्त का आपराधिक इतिहास; और अभियुक्त के विरुद्ध लगे आरोपों के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के बीच एक संतुलन बनाना होगा।”

20.2.7. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय के आदेश को पढ़ने से यह स्पष्ट प्रभाव पड़ता है कि इसने विचारण के परिणाम का पहले से ही अनुमान लगा लिया है, जिससे उन्मोचन (डिस्चार्ज) या दोषमुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जो इस न्यायालय के अनुसार कानून के विपरीत है। 20.2.8. दिनेश एम.एन. (एस.पी.) बनाम गुजरात राज्य के मामले में, न्यायालय ने स्पष्ट किया था:

“भले ही जमानत देने वाले न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन से बचा जाना चाहिए, फिर भी धारा 439(2) के अंतर्गत जमानत रद्द करने के आवेदन पर विचार करने वाला न्यायालय यह देख सकता है कि क्या अप्रासंगिक सामग्रियों को ध्यान में रखा गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ज्ञात नहीं होता कि जमानत की प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए अप्रासंगिक सामग्रियों ने न्यायालय को किस हद तक प्रभावित किया था।”

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20.2.9. इस प्रकार, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जमानत का निर्णय करते समय उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को केवल उसी उद्देश्य के लिए राय की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाना चाहिए और वे किसी भी तरह से विचारण या अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे। वर्तमान मामले में, हालांकि, उच्च न्यायालय ने अप्रासंगिक और समय-पूर्व मूल्यांकनों पर भरोसा किया है, और उन प्रश्नों में प्रवेश किया है जिन्हें विचारण के लिए छोड़ दिया जाना सबसे उचित था, जिससे एक गंभीर क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि हुई है।

(iv) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा साद बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली); 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्ली 8751 के मामले में पारित निर्णय, जिसके संदर्भित प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:-

"11. इसके अतिरिक्त, रिमांड के समय याचिकाकर्ता द्वारा उसे उसकी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देने में किसी भी कथित विफलता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। रिमांड आदेश को कभी चुनौती नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता ने कई जमानत आवेदन भी प्रस्तुत किए थे, जिनमें से एक इस न्यायालय के समक्ष (जमानत आवेदन संख्या 2537/2025) था, जिसे अंततः याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सी.डी.आर. (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) के साथ पूरक आरोप पत्र दाखिल होने पर नया आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था। महत्वपूर्ण रूप से, उक्त जमानत आवेदन में भी, याचिकाकर्ता की ओर से गिरफ्तारी के लिखित आधार प्रस्तुत न करने के संबंध में कोई तर्क नहीं उठाया गया था। यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने उसके बाद भी जमानत आवेदन दाखिल करना जारी रखा और पूरे समय अधिवक्ताओं द्वारा उसका विधिवत प्रतिनिधित्व किया गया।

12. इस चरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कर्नाटक राज्य बनाम श्री दर्शन, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1702 में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध (जो वर्तमान मामले के समान है) से संबंधित एक मामले से निपटते हुए, विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 456 और पंकज बंसल बनाम भारत संघ, (2024) 7 एस.सी.सी. 576 : (2024) 3 एस.सी.सी. (अपराधिक) 450 सहित पूर्व के निर्णयों पर विचार करने के पश्चात, यह स्पष्ट किया था कि लिखित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गिरफ्तारी के आधारों की मात्र अनुपस्थिति, अपने आप में, गिरफ्तारी को तब तक अवैध नहीं बनाती जब तक कि अभियुक्त कोई वास्तविक नुकसान (प्रतिकूल प्रभाव) या स्वयं का बचाव करने के उचित अवसर से वंचित होने को साबित न कर दे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत आवश्यकता तब संतुष्ट हो जाती है जब अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधारों के मूल सार से अवगत करा दिया जाता है, भले ही वे लिखित रूप में प्रस्तुत न किए गए हों। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि जहाँ गिरफ्तारी मेमो और रिमांड की कार्यवाही दर्शाती है कि अभियुक्त गिरफ्तारी के कारणों से अवगत था, और जहाँ अभियुक्त के पास कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुँच थी और उसने जमानत जैसे कानूनी उपचारों का लाभ उठाया था, वहाँ लिखित आधारों की अनुपस्थिति अधिक से अधिक एक सुधार योग्य त्रुटि है और गिरफ्तारी को दूषित नहीं करती है या अभियुक्त को जमानत का हकदार नहीं बनाती है। प्रासंगिक टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

“20.1.3. इस प्रकार संवैधानिक और वैधानिक ढांचा यह आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की सूचना दी जानी चाहिए - परंतु दोनों में से कोई भी प्रावधान किसी विशिष्ट प्रपत्र (फॉर्म) को निर्धारित नहीं करता है और न ही हर मामले में लिखित सूचना देने पर जोर देता है। न्यायिक मिसालों ने यह स्पष्ट किया है कि इन आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन ही पर्याप्त है, जब तक कि कोई स्पष्ट नुकसान न दिखाया गया हो।

20.1.4. विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य के मामले में यह दोहराया गया था कि यदि अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधारों के मूल सार से अवगत करा दिया जाता है, तो अनुच्छेद 22(1) संतुष्ट हो जाता है, भले ही इसे लिखित रूप में न दिया गया हो। इसी प्रकार, कासीरेड्डी उपेंद्र रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में यह टिप्पणी की गई थी कि जब गिरफ्तारी वारंट के अनुसरण में की जाती है, तो वारंट को पढ़कर सुनाना पर्याप्त अनुपालन माना जाता है। पंकज बंसल के बाद के ये दोनों निर्णय स्पष्ट करते हैं कि लिखित, व्यक्तिगत आधार सभी परिस्थितियों में एक अपरिवर्तनीय आवश्यकता नहीं हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20.1.5. यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 अनिवार्य है, फिर भी कथित प्रक्रियात्मक चूकों की जांच करते समय निरंतर न्यायिक दृष्टिकोण 'नुकसान-उन्मुख परीक्षण' अपनाने का रहा है। लिखित आधारों की मात्र अनुपस्थिति अपने आप में गिरफ्तारी को तब तक अवैध नहीं बनाती, जब तक कि इसके परिणामस्वरूप कोई स्पष्ट नुकसान न हुआ हो या बचाव का उचित अवसर न छीना गया हो।

20.1.6. हालांकि, उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध की गंभीरता और प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व की अनदेखी करते हुए, कथित प्रक्रियात्मक चूक को एक निर्णायक कारक के रूप में मानने पर अत्यधिक भरोसा किया। इसने अन्य बातों के साथ-साथ यह नोट किया कि रिमांड आदेशों में गिरफ्तारी के आधारों के मेमो की तामीली का कोई उल्लेख नहीं था (पैराग्राफ 45); गिरफ्तारी मेमो कथित तौर पर प्रारूप आधारित थे न कि व्यक्तिगत (पैराग्राफ 50); और प्रत्यक्षदर्शियों ने यह नहीं कहा था कि वे गिरफ्तारी के समय उपस्थित थे या मेमो पर हस्ताक्षर किए थे (पैराग्राफ 48)। पंकज बंसल बनाम भारत संघ और प्रवीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) (ऊपर उल्लिखित) पर भरोसा करते हुए, इसने निष्कर्ष निकाला (पैराग्राफ 43, 49 - 50) कि 03.10.2023 से, गिरफ्तारी के तुरंत बाद विस्तृत, लिखित और व्यक्तिगत आधार तामील न करना एक ऐसा उल्लंघन था जो अभियुक्त को जमानत का हकदार बनाता था।

20.1.7. वर्तमान मामले में, गिरफ्तारी मेमो और रिमांड रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि प्रत्युत्तरदाता अपनी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत थे। शुरुआत से ही उनका कानूनी प्रतिनिधित्व किया गया था और उन्होंने गिरफ्तारी के तुरंत बाद जमानत के लिए आवेदन किया था, जो आरोपों की तत्काल और सूचित समझ को प्रमाणित करता है। रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं रखी गई है जिससे यह स्थापित हो सके कि कथित प्रक्रियात्मक चूक के कारण कोई नुकसान हुआ था। स्पष्ट नुकसान की अनुपस्थिति में, ऐसी अनियमितता अधिक से अधिक एक सुधार योग्य त्रुटि है और अपने आप में जमानत पर रिहाई का औचित्य नहीं हो सकती। जैसा कि ऊपर दोहराया गया है, उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोप की गंभीरता और प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व की अनदेखी करते हुए इसे एक निर्णायक कारक माना। पंकज बंसल और प्रवीर पुरकायस्थ पर उसका भरोसा अनुचित है,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



क्योंकि वे निर्णय भौतिक रूप से भिन्न तथ्यों और वैधानिक संदर्भों पर आधारित थे। यहाँ अपनाया गया दृष्टिकोण इस स्थापित सिद्धांत के असंगत है कि गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत करने में प्रक्रियात्मक चूक, नुकसान की अनुपस्थिति में, अपने आप में हिरासत को अवैध नहीं बनाती है या अभियुक्त को जमानत का हकदार नहीं बनाती है।”

(जोर दिया गया)

(v) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य; (2026) 1 एस.सी.सी. 500 के मामले में पारित निर्णय। यह ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में, कर्नाटक राज्य बनाम श्री दर्शन आदि; 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1702 के मामले में पारित निर्णय पर संज्ञान नहीं लिया गया था। रिपोर्ट के संदर्भित प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:-

8. इसके बाद, दिनांक 22-04-2025 को विशेष अनुमति प्रदान करते हुए [मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2531], इस न्यायालय ने विचार के लिए निम्नलिखित कानूनी प्रश्न तैयार किए:

8.1. (क) क्या भारतीय दंड संहिता, 1860 (“आई.पी.सी., 1860”) अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बी.एन.एस. 2023) के अंतर्गत आने वाले अपराधों से उत्पन्न प्रत्येक मामले में भी अभियुक्त को गिरफ्तारी से पहले या गिरफ्तारी के तुरंत बाद गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराना आवश्यक होगा, और

8.2. (ख) क्या उन असाधारण मामलों में भी, जहाँ कुछ आपातकालीन स्थितियों के कारण गिरफ्तारी से पहले या गिरफ्तारी के तुरंत बाद गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 47) के प्रावधानों के अनुपालन न होने के आधार पर गिरफ्तारी दूषित (अवैध) हो जाएगी।

12. दूसरी ओर, प्रत्युत्तरदाता राज्य के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 47 के प्रावधान में गिरफ्तारी के आधारों को सूचित करने के माध्यम का उल्लेख नहीं किया गया है। पंकज बंसल [पंकज बंसल

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बनाम भारत संघ, (2024) 7 एस.सी.सी. 576 : (2024) 3 एस.सी.सी. (अपराधिक) 450] और प्रबीर पुरकायस्थ [प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2024) 8 एस.सी.सी. 254 : (2024) 3 एस.सी.सी. (अपराधिक) 573] के निर्णयों पर भरोसा करना अनुचित है क्योंकि दोनों मामले विशेष अधिनियमों से संबंधित हैं और उनके तथ्य वर्तमान मामले के समान नहीं हैं। यह तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 22(1) का जनादेश गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देना है और ऐसे आधारों को लिखित रूप में प्रदान करने का कोई विशिष्ट वैधानिक जनादेश नहीं है। प्रत्युत्तरदाता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हुए यह प्रतिपादित किया कि यद्यपि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देना अनिवार्य है, परंतु उसका माध्यम निर्दिष्ट नहीं है, और इसलिए, अपीलकर्ता को कानून के अनुरूप और सभी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया है।

48. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संवैधानिक जनादेश के अभीष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए गिरफ्तारी के आधारों को सूचित करने के माध्यम पर विचार करते समय यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आधारों को सूचित करने के संबंध में अनुच्छेद 22(1) और 22(5) में प्रयुक्त भाषा समान है और इसलिए अनुच्छेद 22(5) की व्याख्या स्वतः ही अनुच्छेद 22(1) पर लागू होगी। अनुच्छेद 22(1) के वास्तविक अभीष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में दिए जाने चाहिए। इस चरण में इस न्यायालय के संविधान पीठ के निर्णय हरिकिसन [हरिकिसन बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1962 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 117] का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति के गिरफ्तारी के आधारों से अवगत होने के अधिकार के संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि वह व्यक्ति साक्षर है, तो उसे ऐसे आधार एक ऐसी भाषा में दिए जाने चाहिए जिसे वह समझ सके और ऐसी लिपि में दिए जाने चाहिए जिसे वह पढ़ सके।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



49. उसका प्रासंगिक अंश इस प्रकार है: (हरिकिसन मामला [हरिकिसन बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1962 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 117], एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. पैराग्राफ 7-8)

“7. उच्च न्यायालय द्वारा यह नहीं पाया गया है कि अपीलकर्ता को अपनी हिरासत के आधारों को समझने के लिए पर्याप्त अंग्रेजी आती थी। उच्च न्यायालय ने केवल इतना कहा है कि उसने हिंदी माध्यम से सातवीं कक्षा तक पढ़ाई की है, जो अंग्रेजी माध्यम के तीसरी कक्षा के बराबर है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए तर्क को इस आधार पर खारिज नहीं किया कि अपीलकर्ता को अपने विरुद्ध मामले को समझने के लिए पर्याप्त अंग्रेजी आती थी, बल्कि इस आधार पर खारिज किया, जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, कि उसे अंग्रेजी में हिरासत का आदेश और आधार तामील करना उसके लिए अपना अभ्यावेदन देने में सक्षम होने हेतु पर्याप्त सूचना थी। इसलिए, हमें इस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए कि अपीलकर्ता को उन आधारों को समझने के लिए पर्याप्त अंग्रेजी नहीं आती थी, जो कई पैराग्राफों में समाहित थे, जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, ताकि वह हिरासत के आदेश के विरुद्ध प्रभावी ढंग से अपना अभ्यावेदन दे सके। विद्वान महान्यायवादी ने इस तर्क का कई तरह से उत्तर देने का प्रयास किया है। उन्होंने पहले यह तर्क दिया कि जब संविधान हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आधार सूचित करने की बात करता है, तो इसका अर्थ राजभाषा में सूचित करना है, जो कि अंग्रेजी बनी हुई है; दूसरे, सूचना का लिखित रूप में होना आवश्यक नहीं है और हिरासत का आदेश तथा आधार तामील करते समय पुलिस निरीक्षक द्वारा हिंदी में दिया गया अनुवाद और स्पष्टीकरण कानून और संविधान की आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन होगा; और तीसरे, मामले की परिस्थितियों में हिंदी में आधार उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं था। हमारी राय में, इस मामले में यह संविधान की आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन नहीं था, जैसा कि अनुच्छेद 22 के खंड (5) में निर्धारित किया गया है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए, जो अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं है, अंग्रेजी में हिरासत के आदेश और आधारों को तामील करना, और उन्हें तामील करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा उनका मौखिक अनुवाद या स्पष्टीकरण देना, कानून की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बॉम्बे राज्य बनाम आत्मा राम श्रीधर वैद्य [बॉम्बे राज्य बनाम आत्मा राम श्रीधर वैद्य, 1951 एस.सी.सी. 43 : 1951 एस.सी.आर. 167] के मामले में स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 22 का खंड (5) यह अपेक्षा करता है कि हिरासत के आधार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए, और आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का जल्द से जल्द अवसर भी उसे प्रदान किया जाना चाहिए। निरुद्ध व्यक्ति को वह अवसर मिले, इसके लिए केवल यह पर्याप्त नहीं है कि उसे भौतिक रूप से ज्ञान का साधन सौंप दिया गया हो जिससे वह अपना अभ्यावेदन दे सके। निरुद्ध व्यक्ति इस स्थिति में हो कि वह आदेश के विरुद्ध प्रभावी ढंग से अपना अभ्यावेदन दे सके, इसके लिए उसे हिरासत के आधारों की जानकारी होनी चाहिए, जो उसके विरुद्ध लगे आरोपों की प्रकृति के होते हैं और जिनमें उन प्रतिकूल कृत्यों का विवरण होता है जो प्राधिकारी उस पर आरोपित करते हैं। इसलिए, इस संदर्भ में सूचना देने का अर्थ निरुद्ध व्यक्ति को उन सभी आधारों का पर्याप्त ज्ञान प्रदान करना होना चाहिए जिन पर हिरासत का आदेश आधारित है। इस मामले में आधार कई हैं, और वे अनेक भाषणों पर आधारित हैं जो स्वयं अपीलकर्ता द्वारा विभिन्न अवसरों और विभिन्न तिथियों पर दिए गए बताए जाते हैं। इसलिए, स्वाभाविक रूप से, उन्हें तामील करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा निरुद्ध व्यक्ति को दिया गया कोई भी मौखिक अनुवाद या स्पष्टीकरण आधारों को सूचित करने के समान नहीं होगा। इस संदर्भ में सूचना देने का अर्थ निरुद्ध व्यक्ति को उन तथ्यों और परिस्थितियों का प्रभावी ज्ञान कराना होना चाहिए जिन पर हिरासत का आदेश आधारित है।

8. हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं कि हर मामले में अंग्रेजी में हिरासत के आधारों को सूचित करना, जब तक कि वह राज्य की राजभाषा बनी रहती है, संविधान की आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन है। यदि हिरासत में लिया गया व्यक्ति अंग्रेजी भाषा से परिचित है, तो वह स्वाभाविक रूप से अपने विरुद्ध लगे आरोप की गंभीरता और उन तथ्यों तथा परिस्थितियों को समझने की स्थिति में होगा जिन पर हिरासत का आदेश आधारित है। परंतु जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा से इस प्रकार परिचित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं है, उसके लिए संविधान की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, निरुद्ध व्यक्ति को वे आधार एक ऐसी भाषा में दिए जाने चाहिए जिसे वह समझ सके, और यदि वह साक्षर व्यक्ति है, तो एक ऐसी लिपि में दिए जाने चाहिए जिसे वह पढ़ सके।”

50. इसके अतिरिक्त, उपरोक्त निर्णय को इस न्यायालय द्वारा लल्लूभाई जोगीभाई पटेल बनाम भारत संघ [लल्लूभाई जोगीभाई पटेल बनाम भारत संघ, (1981) 2 एस.सी.सी. 427 : 1981 एस.सी.सी. (अपराधिक) 463 : (1982) 52 कॉम्प केस 543] के मामले में दोहराया और अनुसरित किया गया है, जिसमें यह पुनर्सत्यापित किया गया है कि हिरासत के आधार निरुद्ध व्यक्ति को लिखित रूप में ऐसी भाषा में सूचित किए जाने चाहिए जिसे वह समझता हो।

51. उपरोक्त दोनों निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा न समझी जाने वाली भाषा में आधारों को केवल सूचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत संवैधानिक जनादेश को पूरा नहीं करता है। गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी समझी जाने वाली भाषा में ऐसे आधार प्रदान करने में विफलता संवैधानिक सुरक्षा उपायों को निरर्थक बना देती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के अंतर्गत गारंटीकृत व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। संवैधानिक जनादेश का उद्देश्य व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के आधार को समझने की स्थिति में लाना है और यह तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आधार उस व्यक्ति द्वारा समझी जाने वाली भाषा में दिए जाएं, जिससे वह अपने अधिकारों का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में सक्षम हो सके।

52. ऊपर चर्चा किए गए निर्णयों की श्रृंखला से जो कानूनी स्थिति उभरती है, वह यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) में प्रदान किया गया संवैधानिक जनादेश केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकारों के रूप में एक संवैधानिक सुरक्षा उपाय है। संवैधानिक जनादेश का आशय और उद्देश्य गिरफ्तार व्यक्ति को अपना बचाव करने के लिए तैयार करना है। यदि अनुच्छेद 22(1) के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रावधानों को संकुचित तरीके से पढ़ा जाए, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का इसका अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा, बल्कि यह सीमित और अप्रभावी हो जाएगा।

53. गिरफ्तारी के आधारों को सूचित करने का माध्यम ऐसा होना चाहिए जो भारत के संविधान के अंतर्गत परिकल्पित अभीष्ट उद्देश्य को प्रभावी ढंग से पूरा करे, जो कि गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी परामर्श प्राप्त करने, रिमांड का विरोध करने और कानून में प्रदान किए गए अपने अधिकारों और सुरक्षा उपायों का प्रयोग करके प्रभावी ढंग से अपना बचाव करने में सक्षम बनाना है। गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तार व्यक्ति को इस तरह से प्रदान किए जाने चाहिए कि आधार बनाने वाले तथ्यों का पर्याप्त ज्ञान उसे उसकी समझी जाने वाली भाषा में प्रभावी ढंग से प्रदान और सूचित किया जाए। सूचना का माध्यम ऐसा होना चाहिए जो संवैधानिक सुरक्षा उपाय के अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त करे। संवैधानिक जनादेश का उद्देश्य गिरफ्तार व्यक्ति को केवल आधार पढ़कर सुनाने से पूरा नहीं होगा, ऐसा दृष्टिकोण अनुच्छेद 22(1) के उद्देश्य के विपरीत होगा।

54. गिरफ्तार व्यक्ति जो भाषा समझता है, उसमें गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में प्रदान करने में कोई हर्ज नहीं है, यह दृष्टिकोण न केवल संवैधानिक जनादेश के वास्तविक आशय को पूरा करेगा बल्कि जांच एजेंसी के लिए भी यह साबित करने में फायदेमंद होगा कि गिरफ्तारी के आधार न दिए जाने की दलील पर गिरफ्तारी को चुनौती दिए जाने पर गिरफ्तार व्यक्ति को इसके बारे में सूचित किया गया था।

55. इस न्यायालय की यह राय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के संवैधानिक जनादेश के अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक मामले में बिना किसी अपवाद के गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार सूचित किए जाने चाहिए और ऐसे आधारों को सूचित करने का माध्यम उसकी समझी जाने वाली भाषा में लिखित रूप में होना चाहिए।

56. अब उस दायित्व का संदर्भ देना अप्रासंगिक नहीं होगा जो गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति पर थोपा गया है, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 के साथ पठित धारा 50-क (अब क्रमशः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 47 और 48) के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अंतर्गत प्रदान किया गया है, जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को उसके इस अधिकार के बारे में सूचित करना आवश्यक है कि वह अपनी गिरफ्तारी के संबंध में सूचना देने के उद्देश्य से अपने रिश्तेदार, मित्र या किसी अन्य व्यक्ति को नामित कर सके। इसके साथ ही, गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति पर यह कर्तव्य भी डाला गया है कि वह उसके तुरंत बाद ऐसे नामित व्यक्ति को कारणों और उस स्थान के साथ जहाँ गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया है, ऐसी गिरफ्तारी की सूचना दे। पुलिस अधिकारी/गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति पुलिस स्टेशन में रखी जाने वाली एक पुस्तक में इस तथ्य की प्रविष्टि करेगा कि ऐसी गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई है। इस संबंध में आगे की सुरक्षा तब दिखाई देती है जब मजिस्ट्रेट पर यह कर्तव्य डाला गया है कि जब गिरफ्तार व्यक्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, तो वह स्वयं को संतुष्ट करे कि उपरोक्त आवश्यकता का अनुपालन किया गया है। यह आवश्यकता गिरफ्तार व्यक्ति के गिरफ्तारी के आधारों से अवगत होने के अधिकारों के अतिरिक्त है।

57. दूसरा मुद्दा जो विचारणीय है वह यह है कि जब गिरफ्तारी के आधार या तो गिरफ्तारी से पहले या गिरफ्तारी के तुरंत बाद नहीं दिए जाते हैं, तो क्या यह कुछ आपातकालीन स्थितियों के बावजूद, जहाँ ऐसे आधार तुरंत प्रदान करना संभव नहीं होगा, धारा 50 दंड प्रक्रिया संहिता (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 47) के प्रावधानों के अनुपालन न होने के कारण गिरफ्तारी को दूषित कर देगा।

58. अब यह स्थापित हो चुका है कि यदि गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में नहीं दिए जाते हैं, तो इस गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन होगा, जिससे गिरफ्तारी और रिमांड अवैध हो जाएंगे और वह व्यक्ति मुक्त होने का हकदार होगा। अधिनियम उस माध्यम, प्रकृति या समय और चरण के संबंध में मौन है जिस पर गिरफ्तारी के आधार सूचित किए जाने हैं। अनुच्छेद 22 कहता है “यथाशीघ्र”, जिसका स्पष्ट रूप से अर्थ गिरफ्तारी से पहले नहीं बल्कि गिरफ्तारी पर या उसके बाद हो सकता है। संकेत यह है कि इसे जितनी जल्दी हो सके अवगत कराया जाए। ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिनमें गिरफ्तार व्यक्ति



को उसकी गिरफ्तारी के समय या तुरंत बाद गिरफ्तारी के ऐसे आधार उपलब्ध कराना व्यावहारिक रूप से संभव न हो।

59. ऐसा हो सकता है कि किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध किया जा रहा हो और तथ्यात्मक स्थिति संदिग्ध के भाग जाने या आगे और अपराध करने का एक स्पष्ट और आसन्न जोखिम प्रस्तुत करती हो। उदाहरण के लिए, पुलिस अधिकारी के सामने की गई हत्या के मामले में, अधिकारी के लिए अभियुक्त को गिरफ्तारी से पहले या गिरफ्तारी के तुरंत बाद लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार प्रदान करना संभव नहीं हो सकता है। गिरफ्तारी करने से पहले या उसके समय या तुरंत बाद लिखित आधार सूचित करने पर अत्यधिक बल देने के परिणामस्वरूप पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे।

60. संवैधानिक सुरक्षा उपाय, जितने मूल्यवान वे हैं, उनकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती कि वे एक प्रक्रियात्मक बाधा में बदल जाएं जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उनके कर्तव्यों के उचित कानूनी निर्वहन में पंगु बना दे। इसलिए, एक ओर संवैधानिक और वैधानिक रूप से अनिवार्य सुरक्षा उपायों के अनुपालन तथा दूसरी ओर राज्य एजेंसियों पर डाले गए प्रभावी कानूनी वैधानिक कानून प्रवर्तन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के बीच एक संतुलन बनाया जाना चाहिए।

61. उपरोक्त स्थिति के स्थान पर, ऐसा मामला हो सकता है जिसमें जांच अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-क [अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35(3) से धारा 35(6)] के अंतर्गत जांच में शामिल होने के लिए अभियुक्त को उपस्थित होने का नोटिस भेजा हो, जिसके अनुसरण में अभियुक्त जांच में शामिल हुआ हो। जांच अधिकारी, अपने समक्ष उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के बाद और/या अभियुक्त से पूछताछ करने पर, अपना मन बना लेता है कि आगे की जांच के लिए अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है या गिरफ्तारी के अन्य कारण हैं, ऐसे मामलों में, चूंकि अभियुक्त जांच एजेंसी की देखरेख में है और उसके भाग जाने की कोई आशंका

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं है, इसलिए पुलिस अधिकारी के लिए अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराना अनिवार्य हो जाता है। इसका अनुसरण, उदाहरण के लिए, उन मामलों में भी किया जा सकता है जिनमें अपराध मुख्य रूप से दस्तावेजी साक्ष्य/रिकॉर्ड पर आधारित होते हैं, आर्थिक अपराध जैसे कि धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत जहाँ गिरफ्तारी के समय ही गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार एक साथ दिए जाते हैं।

62. इसलिए हम यह मानते हैं कि जिन मामलों में पुलिस के पास पहले से ही दस्तावेजी सामग्री उपलब्ध है जो गिरफ्तारी का एक ठोस आधार प्रदान करती है, वहाँ गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी पर लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार दिए जाने चाहिए। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में जैसे कि शरीर या संपत्ति के विरुद्ध रंगे हाथों किए गए अपराधों में, जहाँ गिरफ्तारी के समय लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार सूचित करना व्यावहारिक रूप से असंभव हो जाता है, वहाँ गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी के समय उस व्यक्ति को मौखिक रूप से सूचित करना ही पर्याप्त होगा। बाद में, गिरफ्तारी के आधारों की एक लिखित प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को उचित समय के भीतर और किसी भी स्थिति में रिमांड की कार्यवाही के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने से कम से कम दो घंटे पहले उपलब्ध कराई जानी चाहिए। रिमांड के कागजात में गिरफ्तारी के आधार शामिल होंगे और यदि उन्हें उपलब्ध कराने में देरी होती है, तो मजिस्ट्रेट की जानकारी के लिए उसमें देरी का कारण दर्शाने वाली एक टिप्पणी शामिल की जाए।

63. प्रस्तुतीकरण से पहले न्यूनतम दो घंटे के अंतराल की उपरोक्त निचली सीमा कार्यात्मक आवश्यकता पर आधारित है ताकि संविधान और अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को प्रदान किए गए अधिकार को प्रभावी ढंग से सुरक्षित किया जा सके। यह अवधि यह सुनिश्चित करेगी कि अधिवक्ता के पास गिरफ्तारी के आधार की जांच करने और रिमांड का विरोध करते हुए गिरफ्तार व्यक्ति का कुशलतापूर्वक और सक्षम रूप से बचाव करने के लिए प्रासंगिक सामग्री एकत्र करने का पर्याप्त समय हो। कोई भी छोटा अंतराल ऐसी तैयारी को निरर्थक बना सकता है, जिसके परिणामस्वरूप

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संवैधानिक और वैधानिक जनादेश का गैर-अनुपालन होगा। रिमांड के लिए प्रस्तुत करने से पहले दो घंटे की यह सीमा इस प्रकार अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और आपराधिक जांच की परिचालन निरंतरता को बनाए रखने के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन बनाती है।

64. उपरोक्त के आलोक में, हम दूसरे मुद्दे के संबंध में यह मानते हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले या तुरंत बाद लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार न देना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 47) के प्रावधानों के अनुपालन न होने के आधार पर ऐसी गिरफ्तारी को दूषित नहीं करेगा, बशर्ते कि उक्त आधार उचित समय के भीतर और किसी भी मामले में रिमांड की कार्यवाही के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने से दो घंटे पहले लिखित रूप में उपलब्ध करा दिए जाएं।

65. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने की उक्त समय-सारणी का पालन नहीं किया जाता है, तो गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी और गिरफ्तार व्यक्ति रिहा होने का हकदार होगा। ऐसी रिहाई पर, रिमांड या हिरासत के लिए एक आवेदन, यदि आवश्यक हो, कारणों और उसकी आवश्यकता के साथ, लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने के बाद, उपरोक्त निर्धारित समय-सारणी के भीतर उन्हें न दिए जाने का स्पष्टीकरण देते हुए प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट उसका निपटारा शीघ्रता से और अधिमानतः उसके प्रस्तुत किए जाने के एक सप्ताह के भीतर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए करेंगे।

66. निष्कर्षतः, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि:

66.1. गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार सूचित करने का संवैधानिक जनादेश सभी अधिनियमों के अंतर्गत सभी अपराधों में अनिवार्य है, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 (अब बी.एन.एस. 2023) के अंतर्गत अपराध शामिल हैं:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



66.2. गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में उसकी समझी जाने वाली भाषा में सूचित किए जाने चाहिए;

66.3. ऐसे मामले (मामलों) में जहाँ, गिरफ्तार करने वाला अधिकारी/व्यक्ति गिरफ्तारी के समय या उसके तुरंत बाद लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार सूचित करने में असमर्थ है, तो ऐसा मौखिक रूप से किया जाए। उक्त आधार उचित समय के भीतर और किसी भी मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमांड की कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करने से कम से कम दो घंटे पहले लिखित रूप में सूचित किए जाएं।

66.4. उपरोक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में, गिरफ्तारी और उसके बाद का रिमांड अवैध माना जाएगा और वह व्यक्ति मुक्त होने के लिए स्वतंत्र होगा।

67. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद, यह नोट करना प्रासंगिक है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 47) का कानूनी प्रावधान गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार सूचित करने के लिए किसी विशिष्ट माध्यम या समय-सीमा का प्रावधान नहीं करता है। इस न्यायालय ने प्रबीर पुरकायस्थ [प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2024) 8 एस.सी.सी. 254 : (2024) 3 एस.सी.सी. (अपराधिक) 573] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया था कि सभी अपराधों में गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार बताए जाने चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह गिरफ्तारी के समय दिया जाना आवश्यक नहीं है बल्कि उसके बाद एक उचित समय के भीतर दिया जाना चाहिए, सभी अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों के लिए यह अवधि वही होगी जो इस आदेश में ऊपर निर्धारित की गई है।

68. हम इस बात से अवगत हैं कि सभी अपराधों के लिए गिरफ्तारी के आधारों को लिखित रूप में सूचित करने की कोई सुसंगत या बाध्यकारी आवश्यकता मौजूद नहीं थी। हमारे विचार में, उपरोक्त निर्णय देने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को प्रदान किए गए संवैधानिक अधिकारों का प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। दायित्व पर ऐसी स्पष्टता से आपराधिक न्याय के प्रशासन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में अनिश्चितता से बचा जा सकेगा। इसलिए निष्पक्षता और कानूनी अनुशासन के हित यह मांग करते हैं कि ऊपर पुष्ट की गई यह प्रक्रिया अब से होने वाली गिरफ्तारियों पर लागू होगी।"

(vi) इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **शिवम चौरसिया माध्यम से अपने भाई श्री मानस चौरसिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य माध्यम से प्रमुख सचिव गृह विभाग लखनऊ एवं अन्य; 2026 एस.सी.सी. ऑनलाइन इला. 325** के मामले में पारित निर्णय, जिसके संदर्भित प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:-

"16. इसके अतिरिक्त, काशी रेड्डी उपेंदर रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1228 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा जताया गया है, और यह तर्क दिया गया है कि चूंकि गिरफ्तारी के कारण और आधार वास्तव में याचिकाकर्ता को उपलब्ध करा दिए गए थे, फलतः यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी किसी भी कोण से अवैध और अनुचित है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी में कोई त्रुटि न होने के कारण रिट याचिका खारिज होने योग्य है।

20. सर्वोच्च न्यायालय के मिहिर राजेश शाह (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से उभरता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) पर विचार करने के पश्चात स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना दिए बिना हिरासत में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि यह राज्य पर गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार प्रदान करने का एक अनिवार्य और अपवादहीन कर्तव्य डालता है। गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में निहित माना गया है और गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार सूचित करने की आवश्यकता केवल एक औपचारिकता नहीं है बल्कि एक अनिवार्य बाध्यकारी संवैधानिक सुरक्षा उपाय है जिसे संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों के शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



21. सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के वास्तविक अभीष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में दिए जाने चाहिए और यह भी माना है कि गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराना संवैधानिक जनादेश है। इसके पश्चात, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में नहीं दिए जाते हैं, तो इस गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन होगा जिससे गिरफ्तारी और रिमांड अवैध हो जाएंगे और वह व्यक्ति मुक्त होने का हकदार होगा। उपरोक्त प्रक्रिया को अब से अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि, जो कि 06.11.2025 है, से होने वाली सभी गिरफ्तारियों पर लागू करने का निर्देश दिया गया है।

22. अतः, उपरोक्त निर्णय पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तार व्यक्ति को अनिवार्य रूप से दिए जाने चाहिए।

25. न्यायालय द्वारा उक्त पृथक गिरफ्तारी के आधारों का अवलोकन किया गया है परंतु उन गिरफ्तारी के आधारों पर कोई विश्वास या भरोसा नहीं जताया जा सकता है जो कथित तौर पर याचिकाकर्ता को अलग से उपलब्ध कराए गए हैं। इसके कारण खोजना कठिन नहीं है। इस तथ्य के अतिरिक्त कि गिरफ्तारी के उक्त कारण अलग से एक पृथक कागज पर प्रदान किए गए हैं और वे गिरफ्तारी मेमो का हिस्सा नहीं हैं, मामले का दूसरा पहलू यह है कि दिनांक 28.01.2026 के गिरफ्तारी मेमो के न तो कॉलम 12 और न ही कॉलम 13 में और न ही गिरफ्तारी मेमो में कहीं भी यह दर्शाया गया है कि गिरफ्तारी के आधार अलग से दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कॉलम संख्या 13 और गिरफ्तारी के आधार प्रदान करने से संबंधित उप-कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं। ऐसे में, यह स्वीकार करने का कोई अवसर नहीं हो सकता कि गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तार व्यक्ति को विधिवत उपलब्ध करा दिए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 36 के अनुसार, जिसके अंतर्गत गिरफ्तारी मेमो जारी किया जाना है, यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि गिरफ्तारी के जापन को कम से कम एक ऐसे गवाह द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो या उस इलाके का कोई सम्मानित सदस्य हो जहाँ गिरफ्तारी की गई है और जिस पर गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा विधिवत प्रति-हस्ताक्षर किए गए हों। यद्यपि गिरफ्तारी के उक्त पृथक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आधारों/कारणों पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर मौजूद हैं - अर्थात् गिरफ्तार व्यक्ति-याचिकाकर्ता द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित हैं, फिर भी गिरफ्तारी के उक्त आधारों का कोई गवाह नहीं है। यह एकमात्र इस अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि यदि गिरफ्तारी के उक्त आधार/कारण दिनांक 28.01.2026 के गिरफ्तारी मेमो के साथ ही तैयार किए गए होते, तो उनका उल्लेख स्वयं गिरफ्तारी मेमो पर विधिवत किया गया होता और वे उस गवाह द्वारा भी सत्यापित होते जिसने याचिका के साथ संलग्न गिरफ्तारी मेमो को सत्यापित किया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि गिरफ्तारी के उक्त आधार/कारण बाद में तैयार किए गए हैं और यद्यपि उन पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर हो सकते हैं, परंतु वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 36 के अनिवार्य प्रावधानों और मिहिर राजेश शाह (ऊपर उल्लिखित) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के अनुरूप नहीं हैं।

33. इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने मिहिर राजेश शाह (ऊपर उल्लिखित) के मामले में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति को आधार उपलब्ध कराना एक संवैधानिक जनादेश है और यह केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है और इस प्रकार मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली एक रिट विचारणीय होगी और यदि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप सही पाया जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, तो न्यायालय के पास इसे अस्वीकार करने का कोई विवेक नहीं होगा। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, उससे यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी ने गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार करने और रिमांड के लिए संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट/न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते समय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और मिहिर राजेश शाह (ऊपर उल्लिखित) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में प्रदान किए गए अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है, इसलिए कानून की नज़र में गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी दोषपूर्ण है, अतः एक अवैध गिरफ्तारी पर याचिकाकर्ता के लिए न्यायालय द्वारा स्वीकृत न्यायिक रिमांड को वैध नहीं कहा जा सकता।

35. हालांकि, प्रत्युत्तरदाताओं के लिए कानून के अनुसार आगे बढ़ने का मार्ग खुला रहेगा।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. मामले के उपरोक्त तथ्यों और आवेदक को सौंपी गई विशिष्ट भूमिका पर उचित विचार करने के पश्चात, जिसके अनुसार आवेदक ही वह व्यक्ति था जिसने मौके पर दम तोड़ने वाले दो व्यक्तियों को घातक चोटें पहुँचाई थीं (दिन-दिहाड़े हुआ दोहरा हत्याकांड) और ऊपर उल्लिखित निर्णयों में की गई टिप्पणियों, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मिहिर राजेश शाह (उपरोक्त)** के मामले में प्रयुक्त और **राम किशोर अरोड़ा (उपरोक्त)** के कानून में स्पष्ट किए गए शब्द 'अब से' शामिल हैं, को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन के आधार पर आवेदक को जमानत पर रिहा करने का इच्छुक नहीं है, इन कारणों से कि (i) रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियां, जिनका उल्लेख इस आदेश के पैराग्राफ 7 और 8 में किया गया है, यह दर्शाती हैं कि आवेदक शुरुआत से ही अपनी गिरफ्तारी के आधारों से अवगत था और (ii) यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि कथित प्रक्रियात्मक चूक के कारण कोई नुकसान पहुँचा था।

11. वर्तमान जमानत आवेदन तदनुसार **खारिज** किया जाता है।

12. हालांकि, संबंधित विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण को अत्यंत शीघ्रता से समाप्त करे।

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

11 मार्च 2026

अरुन